

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

**अधिसूचना**

संचिका संख्या-3/सी.एस./एम.-11/2014...../पटना-15, दिनांक- ..... फरवरी, 2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री जीतन राम मांझी दिनांक-22.02.2015 के अपराहन के प्रभाव से राज्य के मुख्य मंत्री नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

**(अंजनी कुमार सिंह)**

मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-3/सी.एस./एम.-11/2014...../पटना-15, दिनांक- ..... फरवरी, 2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

**(बी0 प्रधान)**

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी.एस./एम.-11/2014.....**159**/पटना-15, दिनांक- **22** फरवरी, 2015

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



**(बी0 प्रधान)**

सरकार के प्रधान सचिव